मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 7/2020 वादपत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

1– रामीबाई पत्नी पोखरलाल जाट नि. उठेलखेड़ा तह. बडीसादडी

2– हीरालाल पिता पोखरलाल जाट नि. उठेलखेड़ा तह. बडीसादडी

––वादीगण

बनाम

1– नन्दा पिता कमला रावत नि. करणपुर हा.मु. उठेलखेडा तह. बडीसादडी

2– मु. पदमा पुत्री कमला रावत नि. करणपुर हा.मु. उठेलखेडा तह. बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री विजय मोगरा तथा प्रतिवादीगण ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा उठेलखेड़ा पटवार हल्का निकुंभ आराजी खसरा नं 263 रकबा 1.08, 265 रकबा 0.12 कुल किता 2 रकबा 2 बिघा तथा सेटलमेन्ट के नये नम्बर 331 रकबा 0.29, 333 रकबा 0.13 कुल किता 2 रकबा 0.42 हैक्ट. भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित की जाती है। कमला पिता काना मीणा का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे ।

इस वाद के खर्चे...X..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित.....X को दी जावे।

यह आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/81 दिनांक :13/05/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालनां रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.17 17:11:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 7/2020 ई.रे.

1– रामीबाई पत्नी पोखरलाल जाट नि. उठेलखेड़ा तह. बडीसादडी
2– हीरालाल पिता पोखरलाल जाट नि. उठेलखेड़ा तह. बडीसादडी

—वादीगण

बनाम

1– नन्दा पिता कमला रावत नि. करणपुर हा.मु. उठेलखेडा तह. बडीसादडी
2– मु. पदमा पुत्री कमला रावत नि. करणपुर हा.मु. उठेलखेडा तह. बडीसादडी

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 रा0टै0एक्ट

// निर्णय // **दिनांक :– 13/05/2025**

वादीगण की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा उठेलखेडा पटवार हल्का निकुंभ की आराजी खसरा नं 263 रकबा 1.08, 265 रकबा 0.12 कुल किता 2 रकबा 2 बिघा तथा सेटलमेन्ट के नये नम्बर 331 रकबा 0.29, 333 रकबा 0.13 कुल किता 2 रकबा 0.42 हैक्ट. वर्तमान मे कमला पिता काना मीणा निवासी करणपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है। जिस वाद में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। खातेदार कमला की मृत्यु हो जाने के पश्चात कमला के दो लड़के जो प्रतिवादीगण है विरासत से उत्तराधिकारी होने से प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी 251/– रूपया में सम्वत 2009 मिती मगसर वदी सातम् को वादी नं. 1 के पति व वादी नं. 2 के पिता पोखरलाल को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया उक्त वादग्रस्त आराजी पर पोखरलाल का कब्जा चला आ रहा है। तथा दिनांक 17.04.2005 को पोखरलाल का देहान्त होने से वादीगण वादग्रस्त आराजी पर बतौर उत्तराधिकारी काबिज चले आ रहे है लेकिन वादग्रस्त आराजी में वादीगण का राजस्व रिकोर्ड में नाम नहीं होने से वादीगण द्वारा यह खातेदारी की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पोखरलाल के पक्ष में निष्पादित बिकावनामा प्रतिवादीगण की ओर से भुरालाल मेहता द्वारा लिखा गया जिस पर प्रतिवादीगण के अंगुठा निशानी है उक्त बिकावनामे की स्टाम्प डयूटी भी अतिरिक्त जिलाधीश महोदय के यहां पर पोखरलाल के द्वारा जमा कराई गई तथा बिकाव नामा रा. टे.एक्ट लागु होने के पहले का है इस कारण धारा 42 के प्रावधान लागु नहीं होते है तथा प्रतिवादीगण के हक व स्वत्व अधिकार वादग्रस्त आराजी में थे बिकाव के 12 वर्ष के बाद समाप्त हो गये इस कारण वादीगण वादग्रस्त आराजी के एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेद[illegible]ार है। प्रतिवादीगण ने पोखरलाल के विरूद्ध धारा 183 बी रा.टै.एक्टत्र के अन्तर्गत [illegible] प्र.सं. 13/1993 है उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 18.04.1994 को तहसीलदार बडीस[illegible] द्वारा दिया गया तथा पोखरलाल जाट बिकाव से काबिज होने के आधार पर धारा 183 बी रा.टै.एक्ट की कार्यवाही खारीज की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.17 17:11:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सुचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई । और पत्रावली दिनांक 11.06.2024 को साक्ष्यवादी में नियत की गई । साक्ष्यवादी में वादी हीरालाल, गवाह भंवरलाल, चम्पालाल, माधुलाल के शपथ पत्र पेश हुये। वकील वादी ने जमाबंदी की खाता सं. 8 जो पत्रावली में उपलब्ध है को प्रदर्श–1 अंकित किया। निष्पादित बिकावनामा बही जो प्रदर्श –2 अंकित किया गया। तहसीलदार बडीसादडी का प्र.सं. 13/1993 निर्णय दिनांक 18.04.1994 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–3 अंकित कराया। दिनांक 12.05.2025 को वादीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई। जिसमे वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया । तथा वकील वादी ने निवेदन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के खातेदारी की घोषणा किया जाना न्यायोचित होगा तथा खातेदारी कमला पिता काना मीणा का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाया जाने की डिक्री प्रदान करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी की लिखित बहस पर मनन किया गया। पोखरलाल के पक्ष में निष्पादित बिकावनामा जो पत्रावली में संलग्न है, विक्रम संवत 2009 अर्थात 1952 ईस्वी का है जिस पर धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं होते है। प्रतिवादीगण की ओर से भुरालाल मेहता द्वारा लिखा गया जिस पर प्रतिवादीगण के अंगुठा निशानी है उक्त बिकावनामे की स्टाम्प डयूटी भी अतिरिक्त जिलाधीश महोदय के यहां पर पोखरलाल के द्वारा जमा कराई गई तथा बिकाव नामा रा.टी.एक्ट 1955 लागू होने के पहले का है साथ ही धारा 42 के प्रावधान भी यहां लागू नहीं होते है क्योकि धारा 42 के प्रावधान दिनांक 02.05.1964 से प्रभावी है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के हक व स्वत्व अधिकार वादग्रस्त आराजी में थे जो बिकाव के बाद समाप्त हो गये थे । अतः वाद–वादी स्वीकार किया जाता है। और आदेश दिया जाता है कि मौजा उठेलखेड़ा पटवार हल्का निकुंभ आराजी खसरा नं 263 रकबा 1.08, 265 रकबा 0.12 कुल किता 2 रकबा 2 बिघा तथा सेटलमेन्ट के नये नम्बर 331 रकबा 0.29, 333 रकबा 0.13 कुल किता 2 रकबा 0.42 हैक्ट. भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित की जाती है। कमला पिता काना मीणा का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे । अंतिम डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 13 /05/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.17 17:11:34 IST
Reason: SelfAttested